10-10-2025

हक. अर्जदारगण द्वारा श्री विमल अग्रवाल अधिवक्ता।
हक. कर्जदार क्रमांक 1 व 2 अनुपस्थित, अनिर्वाहित।
हक. कर्जदार क्रमांक 3 **अभिमुक्त**।
प्रकरण आदेशार्थ पेश।

प्रकरण पूर्व में हक. अर्जदार की ओर से हक. कर्जदार क्रमांक 1 व 2 के विरूद्ध आगामी कार्यवाही हेतु नियत रहा है।

इसी स्तर पर प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि यह निष्पदान प्रकरण दिनांक 25.09.2024 से लम्बित है। प्रकरण में न्यायालय से नियमित रूप से तलवाना प्रस्तुति की स्थिति में आदेशिकाए जारी की गई है, परन्तु हक. कर्जदारगण से कोई भी बजावरी धन की वसूली नहीं हो सकी है।

हक. अर्जदारगण की ओर से यह निष्पादन आवेदन क्लेम प्रकरण एम.ए.सी.सी. क्रमांक 193/2022 (जाड़ियाबाई उर्फ जाड़याबाई बामनिया एवं अन्य विरूद्ध नवलसिंग पिता पियाराम उर्फ प्यारसिंग एवं अन्य) में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषित अधिनिर्णय दिनांक 06.05.2024 के संबंध में पेश किया गया है।

II—156
C.J.

Order Sheet [Contd]

Case No. EXMJC-09 of 20 2024

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
जावक क्रमांक 450 से 452 10-10-2025	यहां यह उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा कि अधिनिर्णय मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 166 एवं 140 के अंतर्गत घोषित किया गया है, अधिनिर्णय अनुसार राशि की वसूली के लिये धारा 174 मोटर यान अधिनियम 1988 के उपबंधित प्रावधानुसार जिला कलेक्टर को प्रमाण–पत्र भेजा जाना होता है एवं कलेक्टर अधिनिर्णीत राशि को वसूल करने के लिये भू–राजस्व की वसूली की तरह अग्रसर होता है। अतः धारा 174 मोटरयान अधिनियम के उपबंधित प्रावधानुसार बजावरी राशि 6,76,576/– रूपये मय ब्याज के वसूली हेतु प्रमाण–पत्र जिला कलेक्टर बडवानी को भेजा जावे, साथ ही हक. अर्जदारगण द्वारा प्रस्तुत निष्पादन आवेदन पत्र, अधिनिर्णय की सत्यप्रति एवं बजावरी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत अन्य आवश्यक दस्तावेज भी प्रेषित किये जावें। हक. अर्जदार को निर्देशित किया जाता है कि वह जिला कलेक्टर बडवानी के समक्ष पेशी दिनांक 13/11/2025 को सुबह 11:00 बजे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित रहे। निष्पादन आवेदन पत्र की फोटोप्रति इस प्रकरण के साथ संलग्न की जावें। आदेश की प्रति हक. अर्जदारगण को निःशुल्क प्रदाय की जाये एवं इस आदेश की एक प्रति कलेक्टर को प्रेषित पत्रावली के साथ संलग्न की जायें। प्रकरण का परिणाम अंकित कर, प्रकरण विधिवत कार्यवाही पश्चात् अभिलेखागार भेजा जावे। (आदेश कुमार मालवीय) सदस्य–द्वि.अति.मो.दु.दा.अधि.सेंधवा जिला बड़वानी (म.प्र.)	11-11-25